न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–2, लखीमपुर–खीरी

जमानत प्रार्थनापत्र सं0–281 / 2026
रजि0 सं0–719 / 2026
CNR No. UPLP01-001326-2026

रोहित गुप्ता उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र पप्पू सेठ उर्फ राधेश्याम गुप्ता निवासी मितौली, मंगल बाजार, थाना मितौली, जिला खीरी।

———————————— अभियुक्त।

बनाम

राज्य ———————————— ———————————— विपक्षी।

मु0अ0सं0–425 / 2025
धारा–331(4), 305(ए), 317(2) बी0एन0एस0
थाना–मितौली, जिला–लखीमपुर खीरी।

दिनांक 06.03.2026

संदर्भित जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त रोहित गुप्ता की ओर से मु0अ0सं0–425 / 2025 धारा–331(4),305(ए),317(2) बी0एन0एस0 थाना–मितौली जिला खीरी के मामले में स्वयं को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं तथा जमानत आवेदन के साथ शपथपत्र संलग्न है। प्रार्थी / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में यह कथन अंकित किया गया है कि अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र प्रथम है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

अभियुक्त ने जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया हैं कि प्रार्थी निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी को उपरोक्त वाद में रंजिशन झूंठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, विलम्ब से दर्ज कराने का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रार्थी का उपरोकत वाद से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। प्रार्थी के पास से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है तथा पुलिस द्वारा जो फर्द बरामदगी दिखायी गयी है, वह जाली एवं फर्जी है। उपरोक्त घटना का कोई जनता का स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है व अज्ञात में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है तथा दौरान विवेचना उसका नाम प्रकाश में आना बताया गया है जिससे घटना फर्जी एवं बनावटी प्रतीत होती है। प्रार्थी को थाना पर पूछताछ हेतु बुलाया गया था। प्रार्थी थाने पर गया और वहीं पर पुलिस द्वारा वाह वाही लूटने के उद्देश्य से प्रार्थी के पास से फर्जी बरामदगी दिखाकर झूंठा चालान कर दिया। प्रार्थी अपनी जमानत देने को तैयार है। अतः प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा स्वयं को दौरान मुकदमा उचित जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा

जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 18.12.2025 की रात्रि करीब 12 से 3 बजे के मध्य वादी आलोक पाण्डेय के घर में चोरी हुई है जिसमें चोरी हुआ सामान इस प्रकार है– एक सोने की चैन, छः अंगूठी, दो मांगबेंदी, एक हार, एक जोड़ी कंगन कान की जेवरी और चांदी का सामान, पायजेब एक जोडी, गुच्छा एक व नगद दस हजार रूपये थे जो चोरों ने रात्रि में घर के पीछे के दरवाजे से चढ़कर अन्दर आये और सामान चोरी करके चले गये।

सुना तथा पुलिस प्रपत्र/केस डायरी का अवलोकन किया।

प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त नामजद आरोपी नहीं है। अभियुक्त दिनांक 05.01.2026 से जेल में निरूद्ध है। आरोपित सभी धारायें मजिस्ट्रेट ट्रायल है तथा जघन्य प्रकृति के अपराध से सम्बन्धित नहीं है। अभियुक्त का जो आपराधिक इतिहास पेश किया गया है, उसमें कोई अपराध जघन्य प्रकृति के अपराध से सम्बन्धित नहीं है। अतः मामले के गुणदोष पर टिप्पणी किये बगैर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त रोहित गुपता द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 1,00,000/–रूपये (एक लाख रूपये) के निजी बंधपत्र व समान धनराशि का एक प्रतिभू संबंधित न्यायालय में दाखिल करने पर निम्न शर्तो का अनुपालन करने की अण्डरटेंकिग देने पर जमानत पर रिहा किया जाता हैं।

1. अभियुक्त मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं करेगा या उन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा।
2. अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।
3. अभियुक्त, अभियोजन साक्ष्य को नष्ट नहीं करेगा।
4. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा परिचालित परिपत्र सं0 19/एडमीन–जी–2 दिनांकित 03.07.2017 के अंतर्गत आपराधिक अपील सं0 2407/1986 सुखदेव बनाम सरकार में पारित निर्देश दिनांकित 17.12.2016 के तहत अभियुक्त के जमानतनामें को स्वीकृत करते समय प्रतिभूतिओं के स्थाई व अस्थाई पता विवरण के साथ प्रतिभूओं के शिनाख्ती प्रपत्र को भी पृथक से दाखिल किया जायेगा।

दिनांक 06.03.2026

अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं0–2, लखीमपुर–खीरी।
JO CODE No. UP6367

Digitally signed by MANOJ KUMAR SINGH
Date: 2026.03.06 16:33:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court